



2026:AHC-LKO:19942

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438

दंड प्रक्रिया संहिता संख्या - 120 सन 2026

नरेंद्र कुमार रावत

..... आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग

उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार, अमर दीप मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, नीरज त्रिवेदी, राकेश कुमार शुक्ला

न्यायालय संख्या - 13

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ लावणिया

1. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नीरज त्रिवेदी द्वारा आज न्यायालय में दायर प्रति-शपथपत्र को अभिलेख में ले लिया गया है।
2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेख में रखे गए दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
3. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट / मुकदमा अपराध संख्या 0359 / 2019 अंतर्गत धारा 302 भारतीय दंड संहिता, पुलिस स्टेशन - गोसाईगंज, जिला - लखनऊ के संबंध में दायर की गई है।
4. दिनांक 25.02.2026 के आदेश द्वारा इस न्यायालय ने आवेदक के हित की रक्षा की थी। संदर्भित दिनांक 25.02.2026 का आदेश इस प्रकार है:-

“1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

2. यह अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट / मुकदमा अपराध संख्या 359/2019, पुलिस स्टेशन - गोसाईगंज, जिला - लखनऊ के संबंध में दायर की गई है।

3. इस याचिका पर विचार करने और आवेदक के हितों की रक्षा के लिए, इस न्यायालय ने निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया, जिनमें शामिल हैं:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

- (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 359 / 2019 दिनांक 03.06.2019, जो पुलिस स्टेशन गोसाईगंज, लखनऊ में दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में वर्तमान आवेदक ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया है, में आवेदक का नाम दर्ज है।
- (ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद, जांच की गई और जांच अधिकारी (संक्षेप में 'आई.ओ.')
- द्वारा जांच पूरी होने पर, दिनांक 11.06.2020 को अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई।
- (iii) प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के साथ-साथ मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई, जिसमें मृत्यु का कारण 'मृत्यु से पहले फांसी' बताया गया है, साथ ही शव परीक्षण करने वाले सर्जन द्वारा मृतक के शरीर पर पाए गए घावों को भी ध्यान में रखा गया है।
- (iv) दिनांक 11.06.2020 की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध, सूचनाकर्ता ने विरोध याचिका दायर की और दिनांक 11.03.2022 के आदेश द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया।
- (v) संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 11.03.2022 के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, जांच अधिकारी ने जांच की और जांच पूरी होने पर, जांच अधिकारी ने दिनांक 21.01.2023 को पुनः अंतिम रिपोर्ट दाखिल की।
- (vi) इसके बाद सूचनाकर्ता ने दिनांक 21.01.2023 की अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विरोध याचिका दायर की। इस पर संबंधित मजिस्ट्रेट ने दिनांक 11.04.2025 का आदेश पारित किया।
- (vii) दिनांक 11.04.2025 के आदेश के अनुपालन में, जांच अधिकारी जांच कर रहा है और इसलिए, गिरफ्तारी की आशंका है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. इस न्यायालय ने निम्नलिखित तथ्यों पर भी विचार किया है:-

- (i) मृतक ने दिनांक 19.03.2018 को वर्तमान आवेदक के पक्ष में एक पंजीकृत विक्रय समझौता निष्पादित किया था, जो उसी दिन उप-पंजीयक कार्यालय, मोहनलालगंज, लखनऊ में पंजीकृत किया गया था।
- (ii) मृतक द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित दिनांक 19.03.2018 के विक्रय समझौते के अनुसार, मृतक मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में स्थित गाटा संख्या 130/4/0.464 हेक्टेयर भूमि को हस्तांतरित करने के लिए बाध्य था।
- (iii) हस्तांतरण / विक्रय विलेख के निष्पादन की अवधि अभिलेख में मौजूद विक्रय समझौते की प्रति के पृष्ठ संख्या 6 पर अंकित है।
- (iv) इसके बाद, मृतक ने मार्च 2019 में दिनांक 19.03.2018 के विक्रय समझौते को रद्द करने के लिए एक दीवानी मुकदमा दायर किया, जैसा कि अभिलेख में मौजूद दिनांक 12.03.2019 के वादपत्र की प्रति से स्पष्ट है।

5. अभिलेख पर मौजूद सभी सामग्री पर उचित विचार करने के बाद, इस न्यायालय का प्रथम दृष्टया यह मत है कि वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवेदक से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह वचन दिया है कि आवेदक मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. विद्वान अपर शाशकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध किया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने पाया है कि आवेदक के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

9. तदनुसार, अंतरिम उपाय के रूप में, यह प्रावधान किया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, आरोपी-आवेदक - नरेंद्र कुमार रावत को उपरोक्त मामले में अग्रिम जमानत पर तत्काल रिहा कर दिया जाए, बशर्ते वह 25,000/- रुपये का निजी मुचलका और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित पुलिस स्टेशन / न्यायालय के स्टेशन हाउस ऑफिसर की संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करे, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

- (i) कि अभियुक्त-आवेदक आवश्यकतानुसार पुलिस अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा तथा जांच में सहयोग करेगा;
- (ii) कि अभियुक्त-आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; और
- (iii) कि अभियुक्त-आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. इस मामले को 18.03.2026 को शीर्ष 20 मामलों में सूचीबद्ध / प्रस्तुत किया जाए।

11. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंतरिम आदेश को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की योग्यता के आधार पर सुनवाई के बाद ही बढ़ाया जाएगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. इस बीच, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता भी वर्तमान जमानत आवेदन पर जवाब दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए कोई और समय नहीं दिया जाएगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली सुनवाई की तारीखों पर, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा और पहली सुनवाई में ही उचित आदेश पारित किए जाएंगे, जिसमें सूचनाकर्ता के प्रतिकूल आदेश भी शामिल होगा।”

5. अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता अभिलेख से यह साबित नहीं कर सके कि जमानत आवेदन में उल्लिखित कोई भी प्रतिकूल तथ्य मौजूद है। न्यायालय ने पाया कि मामले की खूबियों पर विचार करने के बाद आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया गया था। अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ऐसा कोई तथ्य भी नहीं बता सके जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि आवेदक ने जांच कार्यवाही में सहयोग नहीं किया है या कोई ऐसा स्पष्ट तथ्य जो मामले की खूबियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सके।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, इस अग्रिम जमानत आवेदन को **अनुमति** दी जाती है और आवेदक **नरेंद्र कुमार रावत** को मुकदमे के निस्तारण तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम जमानत दी जाती है:-

(i) आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए उपलब्ध रहेगा;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके;

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो; और

(v) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाह पर दबाव / धमकी नहीं देगा।

7. चूक की स्थिति में, जांच एजेंसी इस आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकती है।

मार्च 18, 2026

अरुण/-

[न्यायमूर्ति सौरभ लावणिया]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।